

SCMS
2020/0005
08/02/2021

जज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

वनाम

श्री. पिरु रवां

हलका भूका वगलसिहे

पुत्र श्री. बु. रवां जाति कौरवाय

निवासी भूका वगलसिहे

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 48/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका <u>भूका वगलसिहे</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् <u>2073</u> में मौजा <u>भूका वगलसिहे</u> के खसरा नंबर <u>27/3</u> रकबा <u>1200 वर्ग फीट</u> किस्म भूमि <u>अ.क. 5</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>11-01-2021</u> को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-1-2021	<p style="text-align: center;">तहसीलदार सिणधरी जिला-वाड़मेर</p> पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पीगलीन अधिकारी राजकीय कार्य हेतु जोधपुर पदारे हे पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश है। 11-01-2021	पी.श. रवां
18-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल के जवाब हेतु सायल याद को दिनांक 27-01-2021 को पेश है।	पी.श. रवां

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

27-1-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल की तरफ से उनके वकील ने उपस्थित होकर जवाब देना सायल चाहता दिनांक 10-02-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीतामह मन्दिरी भाण्ड सिवाना डुमरी पर पधार है। पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।

10-2-2021

17-2-2021

~~पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब देना मन्दिरी भवत दिनांक 22-2-2021 को पेश है।~~

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-02-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब देना वर-2 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। गैर सायल को अतिक्रम मानते हुए पत्रावली जैसल सुमार है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली जैसल सुमार होकर दाखिल इन्तार है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर